

Government of Chhattisgarh
Law & Legislative Affairs Department
Mahanadi, Bhawan, Capitol Complex Mantralaya,
Naya Raipur Chhattisgarh

// NOTIFICATION //

Raipur, dated 21.03.2013

F. No. 2265/906/XXI-B/C.G./13. In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh makes following further amendment in this department's previous notification No. 3423/D-965/XXI-B/C.G./04. Dated 07.06.2004 and No. 1507/ D-397/XXI-B/C.G./05. dated 24.02.2005 (as amended from time to time) and establishes the following Family Court with effect from 1st April, 2013, namely -

AMENDMENT

In the said notification :-

1. Clause (b) of column no. 4 of serial no. 1 of the Schedule - II shall be omitted.
2. Clause (b) of column no. 4 of serial no. 2 of the Schedule - II, shall be omitted.
3. After the entry no. 12 of the Schedule - II, the following shall be added, namely :-

S. No.	Name of the Court and District	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3	4
13	Family Court, Jagdalpur	Jagdalpur	Revenue District Bastar at Jagdalpur excluding the jurisdiction of the Courts of Tahsils Kondagaon, Keshkal and Narayanpur.
14	Family Court, Kabirdham (Kawardha)	Kabirdham (Kawardha)	Revenue District Kabirdham (Kawardha)

Cont. ...2...

15	Family Court, Mahasamund	Mahasamund	Whole Revenue District Mahasamund
16	Family Court, Kanker	Kanker	Revenue District Kanker excluding the jurisdiction of the Courts of Tahsils Bhanuprappur & Pakhanjur
17	Family Court, Dhamtari	Dhamtari	Whole Revenue District Dhamtari

अधिसूचना

रायपुर, दिनांक 21.03.2013

फा. क्र. 2265/906/21-ब/छ.ग./13 राज्य सरकार, एतद्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (क. 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 3423/डी-965/21-ब/छ.ग./04 दि. 07.06.2004 एवं क्र. 1507/डी-397/21-ब/छ.ग./05 दिनांक 24.02.2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित और संशोधन करती है तथा दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से निम्नानुसार कुटुम्ब न्यायालय स्थापित करती है, अर्थात् -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में :-

1. अनुसूची 2 के सरल क्रमांक 1 के स्तम्भ 4 के खण्ड-ब को विलोपित किया जाये ।
2. अनुसूची 2 के सरल क्रमांक 2 के स्तम्भ 4 के खण्ड-ब को विलोपित किया जाये ।
3. अनुसूची - 2 की प्रविष्टि 12 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय अर्थात् -

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम एवं जिला	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
13	कुटुम्ब न्यायालय, जगदलपुर	जगदलपुर	तहसील कोण्डागांव, केशकाल और नारायणपुर के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला बस्तर स्थान जगदलपुर
14	कुटुम्ब न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा)	कबीरधाम (कवर्धा)	राजस्व जिला कबीरधाम (कवर्धा)

15	कुटुम्ब न्यायालय, महासमुंद	महासमुंद	संपूर्ण राजस्व जिला महासमुन्द
16	कुटुम्ब न्यायालय, कांकेर	कांकेर	तहसील भानुप्रतापपुर एवं पखांजूर के न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला कांकेर
17	कुटुम्ब न्यायालय, धमतरी	धमतरी	संपूर्ण राजस्व जिला धमतरी

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(ए.के. सामन्तराय)
21.3.13
सचिव,

छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

फा. क. 2266/906/21-ब/छ.ग./13
प्रतिलिपि -

रायपुर दिनांक 21.3.2013

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके ज्ञापन क. 1997/III-8-2/2001 Bilaspur, dated 13th March, 2013 (Fax dated 21.03.2013, 11:21 0/0 REGISTRAR GENERAL HC +91 7752 241031) के संदर्भ में
 2. कुटुम्ब न्यायालय, जगदलपुर/कबीरधाम (कवर्धा)/महासमुंद/कांकेर/धमतरी/रायपुर की ओर सूचनार्थ,
 3. माननीय विधि मंत्रीजी के निज सचिव की ओर माननीय विधि मंत्रीजी के अवलोकन हेतु
 4. अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के निज सहायक की ओर प्रमुख सचिव वित्त के अवलोकन हेतु
 5. सचिव विधि के स्टाफ आफिसर की ओर सचिव विधि के अवलोकन हेतु
 6. उपसंचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव (छ.ग.) की ओर छ.ग राजपत्र (असाधारण) दिनांक 21.03.2013 में प्रकाशित कर 200 प्रति प्रेषित करने हेतु,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

(सुषमा सावंत)
21/3/13
अतिरिक्त सचिव,

छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग